

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अनुसार श्रीमती सरिता प्रसाद पति राजेंद्र प्रसाद साहु , महेंद्र प्रसाद साहु पिता स्व० जलेश्वर साहु , सरिता देवी पति महेंद्र प्रसाद साहु निवासी ग्राम: चमातु, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातु , थाना सं : 56 (रैयती) खाता सं. 42 के अंतर्गत प्लॉट सं:- 2156 , 2174, 2207, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2218 एवं खाता सं. 90 के अंतर्गत प्लॉट सं:- 2217 कुल रकबा - 06.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है ।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: चमातु, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातु , थाना सं : 56 (रैयती) खाता सं. 42 के अंतर्गत प्लॉट सं:- 2156 , 2174, 2207, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2218 एवं खाता सं. 90 के अंतर्गत प्लॉट सं:- 2217 कुल रकबा - 06.00 एकड़ भूमि के श्रीमती सरिता प्रसाद पति राजेंद्र प्रसाद साहु , महेंद्र प्रसाद साहु पिता स्व० जलेश्वर साहु , सरिता देवी पति महेंद्र प्रसाद साहु निवासी ग्राम: चमातु, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है ।

निशिता कुमार
26/9/21 2018